रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 906] नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 29, 2005/भाद्र 7, 1927

No. 906] NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 29, 2005/BHADRA 7, 1927

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड

अधिसूचना

मुम्बई, 29 अगस्त, 2005

बंगलूर स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड (अपरस्परीकरण) स्कीम, 2005 के मामले में प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 4ख(7) के साथ पठित धारा 4ख(6) के अधीन आदेश

का.आ. 1205(अ).— 1.0 बंगलूर स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड (इसमें इसके पश्चात् "बीजीएसई" के रूप में निर्दिष्ट), शेयरों द्वारा परिसीमित कंपनी के रूप में कंपनी अधिनियम, 1956 के अधीन रजिस्ट्रीकृत, मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज है जिसका अपना रजिस्ट्रीकृत कार्यालय स्टॉक एक्सचेंज टावर्स, 51, फर्स्ट क्रॉस, जे.सी.रोड, बंगलूर - 560027 में स्थित है । प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (इसमें इसके पश्चात् "प्रसंविअ" के रूप में निर्दिष्ट) के उपबंधों के अनुसार इसका अपरस्परीकरण किया जाना अपेक्षित है ।

2.0 बीजीएसई ने, अपने तारीख 29 जनवरी 2005 के पत्र द्वारा इसके अपरस्परीकरण के लिए स्कीम प्रसंविअ की धारा 4ख की उप-धारा (1) के निबंधनों के अनुसार भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (इसमें इसके पश्चात् "भाप्रविबो" के रूप में निर्दिष्ट) को अनुमोदन के लिए प्रस्तुत की । भाप्रविबो ने अपने तारीख 25 मई 2005 के पत्र द्वारा बीजीएसई को संशोधित स्कीम प्रस्तुत करने की सलाह दी बीएसई (निगमीकरण और अपरस्परीकरण) स्कीम, 2005 के उन उपबंधों पर विचार करते हुए, जो बीजीएसई से सुसंगत और के प्रति लागू हों ।

3.0 इसके पश्चात्, बीजीएसई ने, अपने तारीख 13 जून 2005 के पत्र द्वारा बीएसई स्कीम के उपबंधों पर विचार करने के पश्चात् संशोधित स्कीम प्रस्तुत की । भाप्रविबो ने जाँच की और 27 जून 2005 को बैठक के माध्यम से बीजीएसई से जानकारी अभिप्राप्त की । उक्त बैठक के दौरान हुई चर्चा के आधार पर, बीजीएसई ने स्कीम को पुनः प्रस्तुत करने की वांछा की ।

4.0 तदनुसार, बीजीएसई ने, अपने तारीख 30 जून 2005 के पत्र द्वारा इसके अपरस्परीकरण के लिए और संशोधित स्कीम (इसमें इसके पश्चात् "स्कीम" के रूप में निर्दिष्ट) भाप्रविबो को अनुमोदन के लिए प्रस्तुत की प्रसंविअ के उपबंधों के अनुसार ।

5.0 स्कीम में, अन्य बातों के साथ, सदस्यों के व्यापारिक अधिकारों से स्वामित्व तथा प्रबंधन के पृथक्करण, शेयरधारकों जो व्यापारिक सदस्य भी हैं के मताधिकारों पर निर्बंधन, शासी बोर्ड की संरचना, आदि प्रसंविअ की धारा 4ख (6) के उपबंधों के अनुसार, आस्तियों तथा आरक्षितियों के उपयोग और बीजीएसई के निगमीकरण और अपरस्परीकरण के प्रयोजन के लिए तथा के संबंध में अपेक्षित अन्य मामलों का उपबंध है।

6.0 भाप्रविबो, स्कीम पर विचार करते हुए और यह समाधान हो जाने पर कि यह व्यापार के हित में होगी और लोक हित में भी होगी, एतद्द्वारा लघु परिवर्तनों के साथ स्कीम को अनुमोदित करता है । अनुमोदित स्कीम उपाबंध-क के रूप में संलग्न है ।

7.0 बीजीएसई स्कीम में यथा विनिर्दिष्ट समय के भीतर स्कीम की अनुपालना सुनिश्चित करेगा और स्कीम के उपबंधों के प्रतिकूल कोई भी बात नहीं करेगा और भाप्रविबो को अनुपालना की रिपोर्ट ऐसी रीति में प्रस्तुत करेगा जो भाप्रविबो द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए ।

8.0 भाप्रविबो के पास व्यापार के हित में और लोक हित में और स्टॉक एक्सचेंज के निगमीकरण और अपरस्परीकरण के उद्देश्यों को अग्रसर करने के लिए स्कीम को संशोधित करने, परिवर्तित करने या उपांतरित करने का अधिकार आरक्षित है ।

9.0 यह स्कीम राजपत्र में इसके प्रकाशन के दिन प्रभावी होगी ।

[फा. सं. भाप्रविबो/बाविवि/48115/2005]

एम. दामोदरन, अध्यक्ष

उपाबंध-क

बंगलूर स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड (अपरस्परीकरण) स्कीम, 2005

1. **नाम और प्रारंभ**

1.1 इस स्कीम को "बंगलूर स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड (अपरस्परीकरण) स्कीम, 2005" (इसमें इसके पश्चात् "यह स्कीम" अथवा "इस स्कीम" के रूप में निर्दिष्ट) कहा जायेगा ।

1.2 यह स्कीम प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (इसमें इसके पश्चात् "प्रसंविअ" के रूप में निर्दिष्ट) की धारा 4ख की उप-धारा (4) के अधीन इसके प्रकाशन पर प्रभावी होगी।

1.3 बंगलूर स्टॉक एक्सचेंज एसोसिएशन लिमिटेड (इसमें इसके पश्चात् "बीजीएसई" के रूप में निर्दिष्ट) का अपरस्परीकरण इस स्कीम के अनुसार नियत तारीख से ही हो जायेगा जो प्रसंविअ की धारा 4क के अधीन बीजीएसई की बाबत भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (इसमें इसके पश्चात् "भाप्रविबो" के रूप में निर्दिष्ट) द्वारा अधिसूचित की जाये :

परंतु यह कि इस स्कीम के संबंधित खंडों में विनिर्दिष्ट क्रियाकलाप उन खंडों में विनिर्दिष्ट समय अनुसूची के अनुसार कार्यान्वित किये जायेंगे ।

2. **परिभाषाएँ**

इस स्कीम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, -

2.1 **"बंगलूर स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड"** (बीजीएसई) से शेयरों द्वारा परिसीमित कंपनी अभिप्रेत है, कंपनी अधिनियम, 1956 के अधीन रजिस्ट्रीकृत, जिसका अपना रजिस्ट्रीकृत कार्यालय स्टॉक एक्सचेंज टॉवर्स, 51, फर्स्ट क्रॉस, जे.सी. रोड, बंगलूर - 560 027 में स्थित है, जिसे प्रसंविअ के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा स्टॉक एक्सचेंज के रूप में मान्यता प्रदान की गयी है।

2.2 **"नियत तारीख"** से वह तारीख अभिप्रेत है, जो शासी बोर्ड द्वारा अवधारित की जाये, जो प्रसंविअ की धारा 4ख की उप-धारा (7) के अधीन आदेश के प्रकाशन की तारीख से 3 मास के पश्चात् की नहीं होगी ।

2.3 **"शासी बोर्ड"** से बीजीएसई का निदेशक बोर्ड अभिप्रेत है ।

2.4 **"सदस्य"** से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जो बीजीएसई द्वारा बनाये रखे गये सदस्यों के रजिस्टर के अनुसार नियत तारीख से पूर्ववर्ती दिन को बीजीएसई का सदस्य है ।

2.5 **"शेयरधारक"** से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जो नियत तारीख को या के पश्चात् बीजीएसई के किसी इक्विटी शेयर (शेयरों) को धारण करता है ।

2.6 **"व्यापारिक सदस्य"** से बीजीएसई का स्टॉक दलाल अभिप्रेत है और भाप्रविबो के पास यथा भाप्रविबो (स्टॉक दलाल और उप-दलाल) विनियम, 1992 के अधीन रजिस्ट्रीकृत ।

2.7 इस स्कीम में प्रयोग किये गये और अपरिभाषित किन्तु भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992, निक्षेपागार अधिनियम, 1996, प्रसंविअ, कंपनी अधिनियम, 1956, इन अधिनियमों के अधीन बनाये गये नियमों और विनियमों, बीजीएसई के संगम ज्ञापन और संगम अनुच्छेद, उप-विधियों और विनियमों में परिभाषित शब्दों और पदों के वही अर्थ होंगे जो क्रमशः ऊपर उल्लिखित अधिनियमों, संगम ज्ञापन और संगम अनुच्छेद, नियमों, उप-विधियों और विनियमों में उनके लिए नियत हैं ।

3. शासी बोर्ड

3.1 शासी बोर्ड का गठन, नियत तारीख से ही, समय-समय पर प्रवृत्त बीजीएसई के संगम-अनुच्छेद के उपबंधों के अनुसार किया जायेगा :

परंतु यह कि -

(i) व्यापारिक सदस्यों का प्रतिनिधित्व शासी बोर्ड की कुल संख्या के एक-चौथाई से अधिक न हो, और शेष निदेशकों की नियुक्ति ऐसी रीति से हो जो भाप्रविबो द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट की जाये, और

(ii) मुख्य कार्यपालक, चाहे किसी भी नाम से पुकारा जाये, पदेन निदेशक हो ।

3.2 खंड 3.1 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, भाप्रविबो शासी बोर्ड में निदेशकों को नामनिर्दिष्ट कर सकेगा जब कभी ठीक समझे ।

4. अपरस्परीकरण

4.1 व्यापारिक सदस्य शेयरधारक हो सकेगा या नहीं हो सकेगा ।

4.2 शेयरधारक व्यापारिक सदस्य हो सकेगा या नहीं हो सकेगा ।

5. व्यापारिक अधिकार

5.1 सदस्य, जो नियत तारीख से पूर्ववर्ती दिन को स्टॉक दलाल के रूप में रजिस्ट्रीकृत है, नियत तारीख को व्यापारिक सदस्य बन जायेगा ।

5.2 सदस्य, जो नियत तारीख के पूर्ववर्ती दिन को स्टॉक दलाल के रूप में रजिस्ट्रीकृत नहीं है, भाप्रविबो (स्टॉक दलाल और उप-दलाल) विनियम, 1992 के अधीन स्टॉक दलाल के रूप में रजिस्ट्रीकृत हो जाने पर व्यापारिक सदस्य बन जायेगा :

परंतु यह कि रजिस्ट्रीकरण के लिए उसका आवेदन नियत तारीख से 1 मास के भीतर भाप्रविबो को प्रस्तुत किया जाता है ।

5.3 व्यापारिक सदस्य को व्यापार करने की अनुज्ञा केवल इसके पश्चात् होगी कि वह एक्सचेंज और / या भाप्रविबो को अपनी देयराशियाँ निबटा दे ।

5.4 नियत तारीख के पश्चात्, व्यापारिक सदस्य बनने की वांछा रखनेवाले व्यक्ति को सम्मिलित कर लिया जायेगा यदि वह बीजीएसई के संगम अनुच्छेद, उप-विधियों और विनियमों में यथा विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं का अनुपालन करता है और फीस तथा निक्षेप लाता है ।

5.5 बीजीएसई, व्यापारिक सदस्य के रूप में किसी व्यक्ति को सम्मिलित करने के प्रयोजन के लिए, पूँजी पर्याप्तता, निक्षेप, फीस आदि के निबंधनों के अनुसार एकरूप मानकों का अनुसरण करेगा उस व्यक्ति द्वारा व्यापारिक अधिकार के अर्जन की रीति का विचार किए बिना :

परंतु यह कि व्यापारिक सदस्य जिसने पारेषण के रूप में व्यापारिक अधिकार अर्जित किया हो के तौर पर व्यक्ति को सम्मिलित करने के लिए विभिन्न मानकों का अनुसरण किया जा सकेगा ।

5.6 व्यापारिक सदस्य अपनी सदस्यता का अभ्यर्पण बीजीएसई को बीजीएसई के संगम अनुच्छेद, उप-विधियों और विनियमों में विनिर्दिष्ट रीति से कर सकेगा । हालाँकि, अभ्यर्पण पर, व्यापारिक सदस्य को बीजीएसई के पास रखी गई अपनी प्रतिदेय जमाराशि मिल जायेगी ।

5.7 व्यापारिक अधिकार के अर्जन की तारीख या रीति का विचार किए बिना, व्यापारिक सदस्यों के पास एकरूप अधिकार और विशेषाधिकार होंगे :

परंतु यह कि बीजीएसई, भाप्रविबो के पूर्विक अनुमोदन से, उन व्यापारिक सदस्यों को अतिरिक्त विशेषाधिकार प्रदान कर सकेगा जो नियत तारीख से पूर्ववर्ती दिन को सदस्य थे।

5.8 नियत तारीख को व्यापारिक सदस्यों के पास उनके ग्राहकों और घटकों और अन्य सदस्यों की बाबत वही अधिकार और विशेषाधिकार बने रहेंगे, किसी कृत्य, लोप या संविदा या विधि, अधिसूचना, आदेश, निदेश, आदि से उद्भूत या के अधीन, जो कि नियत तारीख को या से पूर्व सदस्य होते हुए उनको प्रोद्भूत होते ।

5.9 व्यापारिक सदस्य उनके ग्राहकों और घटकों, भाप्रविबो, बीजीएसई और अन्य प्राधिकरणों या अन्य व्यक्तियों के प्रति सभी बाध्यताओं और दायित्वों द्वारा आबद्ध होंगे, किसी कृत्य, लोप या संविदा या विधि, अधिसूचना, आदेश, निदेश, आदि से उद्भूत या के अधीन, नियत तारीख को या से पूर्व सदस्य होते हुए ।

6. शेयरधारिता अधिकार

6.1 सदस्य नियत तारीख को शेयरधारक बन जायेगा ।

6.2 बीजीएसई सुनिश्चित करेगा कि इसके इक्विटी शेयरों का कम से कम 51% जनता द्वारा धारित है व्यापारिक अधिकारों वाले शेयरधारकों से भिन्न प्रसंविअ की धारा 4ख की उप-धारा (8) में विहित रीति में और कालावधि के भीतर ।

6.3 नियत तारीख से ही, बीजीएसई सुनिश्चित करेगा कि जनता, व्यापारिक अधिकारों वाले शेयरधारकों से भिन्न, इसके इक्विटी शेयरों का कम से कम 51% धारण करती रहे ।

6.4 नियत तारीख से ही, किसी भी शेयरधारक के पास, जो व्यापारिक सदस्य है, बीजीएसई में मताधिकारों के 5% से अधिक मताधिकार (उसके द्वारा और उसके साथ सामान्य मति से कार्य करने वाले व्यक्तियों द्वारा धारित मताधिकारों को एकसाथ लिया गया) नहीं होंगे ।

7. संगम ज्ञापन और संगम अनुच्छेद, आदि

7.1 बीजीएसई इस स्कीम के उपबंधों को समुचित रूप से नियत तारीख को या से पूर्व इसके संगम ज्ञापन और संगम अनुच्छेद, उप-विधियों और विनियमों में सम्मिलित करेगा ।

7.2 बीजीएसई के संगम ज्ञापन और संगम अनुच्छेद, उप-विधियों और विनियमों को लागू विधियों के अनुसार नियत तारीख के पश्चात् संशोधित किया जा सकेगा, परंतु यह कि कोई ऐसा संशोधन इस स्कीम के किसी उपबंध से असंगत न हो ।

8. समाशोधन और निपटान कृत्यों का अंतरण

8.1 बीजीएसई, नियत तारीख के दो वर्षों के भीतर, भाप्रविबो के पूर्विक अनुमोदन के अध्यधीन, एक्सचेंज के समाशोधन गृह के कर्तव्यों और कृत्यों को समाशोधन निगम, प्रसंविअ के अधीन मान्यताप्राप्त, में अंतरित करेगा ।

8.2 जब तक समाशोधन गृह के कर्तव्य और कृत्य खंड 8.1 में उपबंधित रूप से अंतरित नहीं हो जाते, तब तक बीजीएसई में व्यापार के संबंध में समाशोधन और निपटान कृत्यों को, वर्तमान में बीजीएसई द्वारा यथा प्रयुक्त समाशोधन और निपटान तंत्र द्वारा या ऐसी अन्य रीति में कार्यान्वित किया जायेगा जो शासी बोर्ड अवधारित करे ।

9. आस्तियों और आरक्षितियों का उपयोग

9.1 बीजीएसई प्रसंविअ की धारा 4ख (3) के उपबंधों के प्रतिकूल कोई भी बात नहीं करेगा ।

9.2 खंड 9.1 के उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, बीजीएसई इसकी आस्तियों और आरक्षितियों, इस स्कीम के प्रकाशन की तारीख को, या ऐसी आस्तियों के व्ययन से आगमों या ऐसी आस्तियों के व्ययन की आगमों से अर्जित आस्तियों के उत्तरवर्ती रूपों के व्ययन से आगमों का प्रयोग इस स्कीम के प्रकाशन की तारीख को बकाया चालू दायित्वों को उन्मोचित करने या स्टॉक एक्सचेंज के कारबार प्रचालनों से भिन्न किसी प्रयोजन के लिए नहीं करेगा ।

10. इस स्कीम की अनुपालना

10.1 बीजीएसई सभी समयों पर इस स्कीम के उपबंधों की अनुपालना सुनिश्चित करेगा और इस स्कीम के उपबंधों के प्रतिकूल कोई भी बात नहीं करेगा ।

10.2 10.1 में उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, बीजीएसई खंडों 3.1, 3.2, 4, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 6.3, 6.4, 7.2 और 9 में उपबंधों की अनुपालना निरंतर करता रहेगा ।

10.3 बीजीएसई इस स्कीम के उपबंधों की अनुपालना की रिपोर्ट ऐसी रीति में करेगा जो भाप्रविबो द्वारा समय-समय पर अपेक्षित की जाये ।

11. कठिनाइयों का निराकरण

यदि इस स्कीम के उपबंधों को कार्यान्वित करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो भाप्रविबो, बीजीएसई के लिखित अनुरोध पर, इस स्कीम के उपबंधों में से किसी को शिथिल कर सकेगा ।

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA

NOTIFICATION

Mumbai, the 29th August, 2005

Order under Section 4B (6) read with Section 4B(7) of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 in the Matter of the Bangalore Stock Exchange Limited (Demutualisation) Scheme, 2005.

S.O. 1205(E).— **1.0** The Bangalore Stock Exchange Limited (hereinafter referred to as the 'BgSE'), registered under the Companies Act, 1956 as a company limited by shares, is a recognised stock exchange having its Registered Office at Stock Exchange Towers, 51, 1st Cross, J.C.Road, Bangalore – 560 027. It is required to be demutualised in accordance with the provisions of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 (hereinafter referred to as the 'SCRA').

2.0 BgSE, vide its letter dated January 29, 2005 submitted a scheme for its demutualisation for approval to the Securities and Exchange Board of India (hereinafter referred to as the 'SEBI') in terms of sub-section (1) of section 4B of the SCRA. SEBI vide its letter dated May 25, 2005 advised BgSE to submit a revised scheme taking into account those provisions of the BSE (Corporatisation and Demutualisation) Scheme, 2005, which may be relevant and applicable to BgSE.

3.0 Thereafter, BgSE, vide its letter dated June 13, 2005 submitted a revised scheme after taking into account the provisions of the BSE scheme. SEBI made enquiries and obtained information from BgSE through a meeting on June 27, 2005. Based on the discussions during the said meeting, BgSE desired to resubmit the scheme.

4.0 Accordingly, BgSE, vide its letter dated June 30, 2005 submitted a further revised scheme (hereinafter referred to as 'the Scheme') for its demutualisation to SEBI for approval in accordance with the provisions of the SCRA.

5.0 The Scheme, inter alia, provides for the segregation of ownership and management from the trading rights of the members, restriction on voting rights of shareholders who are also trading members, composition of the

Governing Board, etc. in accordance with the provisions of Section 4B (6) of the SCRA, utilisation of assets and reserves and other matters required for the purpose of and in connection with the corporatisation and demutualisation of BgSE.

6.0 SEBI, having considered the Scheme and on being satisfied that it would be in the interest of the trade and also in the public interest, hereby approves the Scheme with minor modifications. The approved Scheme is enclosed as **Annexure - A**.

7.0 BgSE shall ensure compliance with the Scheme within the time as specified in the Scheme and shall not do anything contrary to the provisions of Scheme and submit compliance report to SEBI in the manner as may be specified by SEBI.

8.0 SEBI reserves the right to amend, alter or modify the Scheme in the interest of the trade and in the public interest and in furtherance of the objectives of the corporatisation and demutualisation of the stock exchange.

9.0 The Scheme shall come into effect on the day of its publication in the Official Gazette.

[F. No. SEBI/MRD/48115/2005]

M. DAMODARAN, Chairman

2569 GI/05—3

Annexure-A

THE BANGALORE STOCK EXCHANGE LIMITED (DEMUTUALISATION) SCHEME, 2005

1. Title and Commencement

1.1 This Scheme shall be called "The Bangalore Stock Exchange Limited (Demutualisation) Scheme, 2005" (hereinafter referred to as "this Scheme").

1.2 This Scheme shall have effect on its publication under sub-section (4) of Section 4B of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 (hereinafter referred to as the "SCRA").

1.3 The Bangalore Stock Exchange Association Limited (hereinafter referred to as "BgSE") shall be demutualised in accordance with this Scheme on and from the Appointed Date as may be notified by the Securities and Exchange Board of India (hereinafter referred to as "SEBI") in respect of BgSE under Section 4A of the SCRA:

Provided that the activities specified in the respective clauses of this Scheme shall be implemented as per the time schedule specified in those clauses.

2. Definitions

In this Scheme, unless the context otherwise requires, -

2.1 **"Bangalore Stock Exchange Limited"** (BgSE) means the Company limited by shares, registered under the Companies Act, 1956, having its registered office at Stock Exchange Towers, 51, 1st Cross, J.C.Road, Bangalore – 560 027, which has been recognised as a stock exchange by the Central Government under the SCRA.

2.2 **"Due Date"** means the date, as may be determined by the Governing Board, which shall not be later than 3 months from the date of publication of the Order under sub-section (7) of Section 4B of the SCRA.

2.3 **"Governing Board"** means the Board of Directors of BgSE.

2.4 **"Member"** means a person who is a member of BgSE on the day preceding the Due Date as per the Register of Members maintained by it.

2.5 **"Shareholder"** means a person who holds any equity share(s) of BgSE on or after the Due Date.

2.6 **"Trading Member"** means a stock broker of BgSE and registered with SEBI as such under the SEBI (Stock Brokers and Sub-Brokers) Regulations, 1992.

2.7 Words and expressions used and not defined in this Scheme but defined in the SEBI Act, 1992, the Depositories Act, 1996, the SCRA, the Companies Act, 1956, the Rules and Regulations made under these Acts, the Memorandum and Articles of Association, Bye-laws and Regulations of BgSE, shall have the same meaning respectively assigned to them in the above mentioned Acts, Memorandum and Articles, Rules, Bye-laws and Regulations.

3. **Governing Board**

3.1 The Governing Board, on and from the Due Date, shall be constituted in accordance with the provisions of the Articles of Association of BgSE in force from time to time:

Provided that -

(i) the representation of the Trading Members does not exceed one-fourth of the total strength of the Governing Board, and the remaining directors are appointed in the manner as may be specified by SEBI from time to time, and

(ii) the Chief Executive, by whatever name called, is an ex-officio director.

3.2 Notwithstanding anything contained in clause 3.1, SEBI may nominate directors on the Governing Board as and when deemed fit.

4. **Demutualisation**

4.1 A Trading Member may or may not be a Shareholder.

4.2 A Shareholder may or may not be a Trading Member.

5. **Trading Rights**

5.1 A Member, who is registered as a stock broker on the day preceding the Due Date, shall become a Trading Member on the Due Date.

5.2 A Member, who is not registered as a stock broker on the day preceding the Due Date, shall become a Trading Member on being registered as a stock broker under the SEBI (Stock Brokers and Sub-brokers) Regulations, 1992:

Provided that his application for registration is submitted to SEBI within 1 month from the Due Date.

5.3 A Trading member will be permitted to trade only after he settles all his dues to the Exchange and / or SEBI.

5.4 After the Due Date, a person desirous of becoming a Trading Member shall be admitted if he complies with the requirements and brings in fees and deposits as specified in the Articles of Association, Bye-laws and Regulations of BgSE.

5.5 BgSE shall, for the purpose of admitting any person as a Trading Member, follow uniform standards in terms of capital adequacy, deposits, fees, etc. irrespective of mode of acquisition of trading right by that person:

Provided that different standards may be followed for admission of a person as a Trading Member who has acquired trading right by way of transmission.

5.6 A Trading Member may surrender his membership to BgSE in the manner specified in the Articles of Association, Bye-laws and Regulations of BgSE. However, on surrender, the Treding Member will get only his refundable deposit (s) maintained with BgSE.

5.7 Irrespective of the date or mode of acquisition of trading right, the Trading Members shall have uniform righta and privileges:

Provided that BgSE may, with the prior approval of SEBI, grant additional privileges to those Trading Members who were Members on the day preceding the Due Date.

5.8 Trading Members on the Due Date shall continue to have the same rights and privileges in respect of their clients and constituents and other members arising out of or under any act, omission or contract or law, notification, order, direction, etc. as had accrued to them while being Members on or before the Due Date.

5.9 Trading Members shall be bound by all obligations and liabilities towards their clients and constituents, SEBI, BgSE and other authorities or other persons arising out of or under any act, omission or contract or law, notification, order, direction, etc. while being Members on or before the Due Date.

6. **Shareholding Rights**

6.1 A Member shall become a shareholder on the Due Date.

6.2 BgSE shall ensure that at least 51% of its equity shares are held by public other than shareholders having trading rights in the manner and within the period prescribed in sub-section (8) of Section 4B of the SCRA.

6.3 On and from the Appointed Date, BgSE shall ensure that public other than shareholders having trading rights continuously holds at least 51% of its equity shares.

6.4 On and from the Due Date, no Shareholder, who is a Trading Member, shall have voting rights (taken together with voting rights held by him and by persons acting in concert with him) exceeding 5% of the voting rights in BgSE.

7. **Memorandum and Articles of Association, etc.**

7.1 BgSE shall incorporate the provisions of this Scheme appropriately in its Memorandum and Articles of Association, Bye-laws and Regulations on or before the Due Date.

7.2 The Memorandum and Articles of Association, Bye-laws and Regulations of BgSE may be amended after the Due Date in accordance with the applicable laws, provided that no such amendment is inconsistent with any provision of this Scheme.

8. **Transfer of Clearing and Settlement Functions**

8.1 BgSE shall, within two years of the Due Date, subject to the prior approval of SEBI, transfer the duties and functions of the clearing house of the Exchange to a Clearing Corporation, recognized under the SCRA.

8.2 Until the duties and functions of the clearing house are transferred as provided in clause 8.1, the clearing and settlement functions in relation to trading on BgSE, shall be carried out by the clearing and settlement mechanism as used by BgSE at present or in such other manner as the Governing Board may determine.

9. Utilisation of Assets and Reserves

9.1 BgSE shall not do anything contrary to the provisions of Section 4B (3) of the SCRA.

9.2 Without prejudice to the generality of the provisions of clause 9.1, BgSE shall not use its assets and reserves as on the date of publication of this Scheme or the proceeds from disposal of such assets or the proceeds from disposal of successive species of assets acquired from the proceeds of disposal of such assets for any purpose other than discharging the current liabilities outstanding as on the date of publication of this Scheme or the business operations of stock exchange.

10. Compliance with this Scheme

10.1 BgSE shall ensure compliance with the provisions of this Scheme at all times and shall not do anything contrary to the provisions of this Scheme.

10.2 Without prejudice to the generality of the provisions in 10.1, BgSE shall continuously comply with the provisions in Clauses 3.1, 3.2, 4, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 6.3, 6.4, 7.2 and 9.

10.3 BgSE shall report compliance with the provisions of this Scheme in such manner as may be required by SEBI from time to time.

11. Removal of Difficulties

If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Scheme, SEBI may, at the written request of BgSE, relax any of the provisions of this Scheme.

****

2569GI/05—4

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.